अपील सूचना अधिकार संख्या 62/2016 अनवानी श्री हरिकृष्ण कांटीवाल पुत्र श्री लालचंद निवासी वार्ड न0 17, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17–01–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री हरिकृष्ण कांटीवाल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री संदीप गोड़ प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित है। दोनो पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 02.02.2016 के द्वारा 2 बिन्दुओ की सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से चाही थी। जिसके प्रतिउत्तर में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने सं0 1064 दिनांक 01.03.16 में अंकित कर सूचना देने से ईन्कार कर दिया है कि आवेदन पर मात्र पत्र क्रमांक का उल्लेख किया गया है यह पत्र किस पत्रावली से जारी किया गया है अनवान अंकित नही होने से चाही गई सूचना अस्पष्ट होने से आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया है जबकि आवेदन पत्र में अंकित पत्र जिला रसद अधिकारी कार्यालय के डिस्पेच रजिस्टर में अंकित है जिसके आधार पर उनके द्वारा पत्र जिस पत्रावली में जारी किया गया है के आधार पर सूचना उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे।

विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि आवेदन पत्र में अंकित पत्रो से यह ज्ञात नही होता है किस पत्रावली से जारी किये गये है। इसलिए सूचना तलाश करके कार्यालय समय को बाधित किये वगैर सूचना उपलब्ध करवाना संभव नही है। इसलिए अपीलार्थी का प्रा0 पत्र खारिज किया गया है और उसे इसकी सूचना दिनांक 01.03.2016 व 22.04.16 को दी जा चुकी है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी के अपील पत्र में अंकित अनुसार उसके द्वारा अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 02.02.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. आपके कार्यालय के पत्रांक 5656 दिनांक 27.06.14, 5658 दिनांक 27.06.14, पत्रांक 5660 दिनांक 27.06.14 की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. आपके कार्यालय के पत्रांक 107 दिनांक 06.016 के बिन्दू सं0 2 के जबाब में वर्णित इबारत '' बिन्दू सं0 2 में चाही सूचना हेतू......जारी किया गया है'' में वर्णित राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुत (वितरण का विनियम आदेश 1976 के तहत दी गई शक्तियां, उक्त आदेश के किस नियम, धारा पृष्ठपर अंकित है उस नियम, धारा व पृष्ठ की प्रमाणित प्रतियां देवें।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा अपनी सूचनाओ के संबंध में बिन्दु सं0 1 में जिला रसद अधिकारी के विभिन्न पत्रो का क्रमांक व दिनांक उल्लेख करके प्रमाणित प्रतिलिपिया चाही है इसलिए जिला रसद अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र उनके कार्यालय से ही जारी किये गये है। इसलिए इन पत्रो से संबंधित पत्रावलियां तलाश कर नियमानुसार प्रतिलिपि अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जावे। इसी प्रकार बिन्दु सं0 2 में भी पत्र सं0 107 दिनांक 06.01.16 का विवरण अंकित है। इस संबंध में भी जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पत्र से संबंधित रिकार्ड तलाश कर नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील उक्तानुसर स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 17.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर